

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी 2019—माघ 30, शक 1940

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2019

क्र. 2117-मप्रविस-15-विधान-2019.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) को उनसे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१९

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) विधेयक, २०१९

वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१९ है.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,२२,२१,०३,२०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक सौ बाईस करोड़ इक्कीस लाख तीन हजार दो सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	५०,१४,००,०००	५०,१४,००,०००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	५,००,००,२००	०	५,००,००,२००
०३.	पुलिस	राजस्व	१००	०	१००
०५.	जेल	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०६.	वित्त	राजस्व	१,००,००,१००	०	१,००,००,१००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	१००	०	१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
१०.	वन	फूँजी	४००	०	४००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	२००	०	२००
१४.	पशुपालन	राजस्व	१००	७,००,०००	७,००,१००
२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
		फूँजी	१,००,००,२००	०	१,००,००,२००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	फूँजी	२००	०	२००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	३००	०	३००
		फूँजी	३००	०	३००
४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राजस्व	५,००,००,४००	०	५,००,००,४००
		फूँजी	१००	०	१००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	फूँजी	२००	०	२००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	३००	०	३००
योग		राजस्व	७१,००,०१,८००	५०,२१,००,०००	१,२१,२१,०१,८००
		फूँजी	१,००,०१,४००	०	१,००,०१,४००
		वृहद्-योग	७२,००,०३,२००	५०,२१,००,०००	१,२२,२१,०३,२००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के साथ पठित अनुच्छेद 204(1) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संवित्त निधि में से इस अधिनियम के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संवित्त निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अर्पित है।

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख 19 फरवरी, 2019.

तरुण भनोत
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.